<u>पौधों और पौधों की सामग्री का आयात और निर्यात</u>

हम वानकी प्रजातियों हेतु फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं - एक आश्वासन जोकि पौधों और पौधों की सामग्री की खेप आयात करने वाले देश के आवश्यक स्वास्थ्य मानकों को पूरा करती है। वन व्याधि प्रभागाध्यक्ष, जो कि भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित अधिकारियों में से एक हैं, पौधों की सामग्रियों के निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। हम विदेशों से भारत में आयात होने वाली वानिकी प्रजातियों का फाइटोसैनिटरी निरीक्षण भी करते हैं। आयातित पौध इत्यादि का पोस्ट क्वारंटाइन निरिक्षण व निस्तारण किया जाता है। निर्यात निरीक्षण और प्रमाणन प्रक्रिया के सभी पहलुओं के वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम, प्रक्रिया और प्रोटोकॉल प्रभावी फाइटोसैनिटरी प्रमाणीकरण सुनिश्चित करती हैं। प्रत्येक खेप के लिए सभी फाइटोसैनिटरी निरीक्षणों, और अस्वीकृति के कारण यदि कोई हो, का रिकॉर्ड रखा जाता है।